तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3868/2004/बीकानेर रामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.7.19	**खण्डपीठ** **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री जे0के0पंत, अधिवक्ता अपीलांट श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम झझू के गत खसरा नं 281 मिन रकबा 89 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलांट का संवत 2009 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में है और प्रार्थी उसका लगान भी नियमित रूप से जमा कराता आ रहा है। परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, ने उक्त वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2003 के द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय राजसव अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004 द्वारा अस्वीकार कर दी । न्यायालय राजसव अपील अधिकारी, बीकानेर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3868/2004/बीकानेर रामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट उक्त विवादित आराजी पर निरंतर काश्त में चला आ रहा है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में मौजूद है तथा वह इसका लगान भी नियमित रूप से जमा करवाता आ रहा है। परन्तु उक्त विवादित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है इसलिए अपीलांट ने उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की प्रकिया (जैसे दावे में पक्षकारों की साक्ष्य लेना तथा दावा व जबाव दावा के आधार तनकी कायम करना) को अपनाये बिना ही दावे का अपने विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री से खारिज कर दिया और अपील अधिकारी ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल किये बिना उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को बहाल रखते हुय अपने विधि विरूद्व निर्णय से अपील को अस्वीकार कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि जिस सीलिंग प्रकरण का उल्लेख निर्णय में किया गया है वह भूमि अपीलांट के नाम से नहीं है और न ही वादग्रस्त भूमि इसमें शामिल है। विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट/वादी को लेकर जो सीलिंग प्रकरण का उल्लेख किया वह सही है क्योंकि सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.10.72 जो पारित किया गया है वह कुशल सिंह (वारिसान कानसिंह वगैरह) वगुमान सिंह के बाबत है और अपीलांट/वादीगण कानसिंह के वारिसान है। सीलिंग प्रकरण के निर्णय में खसरा नं9 82 रकबा 281 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज है अपीलांट ने गत खसरा नं0 281 मिन का रकबा 89 बीघा 7 बिस्वा भूमि का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन वे स्पष्ट नहीं कर पाये कि गत खसरा नंबर के बाद में कौन कौन से खसरा नंबर परिवर्तित होकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3868/2004/बीकानेर रामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बने है। संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स का नाम सब–टिनेन्ट के रूप में दर्ज नहीं है और न ही संवत 2009 से अपीलांट्स का कब्जा काश्त इस भूमि पर होना किसी साक्ष्य से प्रमाणित होता है। विद्वान अति0 राजकीय अभिभाष ने बहस के अंत में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अस्वीकार किये जाने योग्य है। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं मूल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की प्रकिया (जैसे दावे में पक्षकारों की साक्ष्य लेना तथा दावा व जबाव दावा के आधार तनकी कायम करना) को अपनाये बिना ही दावे निर्णय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को दावा व जबाव दावे के आधार पर तनकी कायम की जाकर उनके आधार पर ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आदेशिका में दावे का अंतिम निर्णय कर दिया। रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल के अनुसार दावे का अंतिम निर्णय पूर्ण व विस्तृत रूप से होना चाहिए जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के अनुसार भी दावे का अंतिम निर्णय तनकी कायम की जाकर तनकीवार किया जाना आवश्यक है जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर बीकानेर को उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुये निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में तनकी कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/3868/2004/बीकानेर रामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के सहयोग हेतु नियत समय में अपनी उपस्थिति देवे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य** **सदस्य**	